

रोजगार सृजन:

'स्वावलंबी भारत अभियान'

विचार-पत्रक

(Concept-Note)

बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु व्यापक प्रयत्नों जैसे-जनजागरण, प्रबोधन व योजना की आवश्यकता है। उसके लिए आर्थिक संगठनों के साथ-साथ शैक्षिक व सामाजिक संगठनों की एक व्यापक पहल है—'स्वावलंबी भारत अभियान'।

पृष्ठभूमि:

1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद एवं पिछले 30 वर्षों की वैश्वीकरण की नीतियों के मिश्रित परिणाम मिले हैं। जबकि इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उसके पूर्व के 40 वर्षों की नियोजित वृद्धि की तुलना में अधिक थी, किन्तु रोजगार के अवसर आनुपातिक रूप से निर्मित नहीं हुए। इसलिए इस अवधि की जीडीपी संवृद्धि को 'रोजगार विहीन संवृद्धि' भी कहा गया। यद्यपि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गरीबी में कमी की गति पहले की तुलना में तेज बताई जा रही है, खासकर पिछले दो दशकों में। आज गरीबी रेखा (BPL) 15% से नीचे आ गई है, जो कि शुभ संकेत हैं। **किन्तु जब तक देश पूर्ण रोजगार युक्त नहीं होता, वह पूर्ण स्वावलंबन व वैश्विक मार्गदर्शक के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।**

हर वर्ष भारत की जनसँख्या में करीब 1.2 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही जनसँख्या वृद्धि के प्रकार के कारण जनसँख्या का एक बड़ा वर्ग युवा है। आज देश की दो तिहाई जनसँख्या की उम्र 35 साल से कम है और यह 36 प्रतिशत से अधिक 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में है। इस दृष्टि से भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 15 से 29 वर्ष आयुवर्ग में ही 37 करोड़ युवा हैं। ऐसी स्थिति को 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, क्योंकि युवा आबादी का बड़ा आकार युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करके, देश के लिए तेजी से विकास करना संभव बनाता है। वर्तमान में रोजगार सृजन सबसे बड़ी व गंभीर चुनौती है। विभिन्न सर्वेक्षणों, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों, मीडिया के समाचार-वार्ताएं व नगर, गांव-देहात से मिलती जानकारियां (Feedback) सब का मानना है कि **यह देश की सर्वोच्च आवश्यकता व चुनौती है।**

वर्तमान परिदृश्य:

अभी भारत में संगठित क्षेत्र की नौकरियां (सरकारी, अर्द्धसरकारी व प्राइवेट मिलाकर) केवल 6-7% हैं, जबकि कच्ची, ठेके पर, दिहाड़ीदार व अन्य सब मिलाकर भी 20-21% तक ही होती हैं। शेष 79-80% लोग कृषि, लघु कुटीर उद्योगों व स्वरोजगार से अपना रोजगार पाते हैं। जबकि सामान्य युवा नौकरी, विशेषकर सरकारी या बड़ी कंपनी की नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अतः परिभाषा ठीक करने से भी समाधान करने में सहयोग मिलेगा। सरकारी तंत्र की लालफीताशाही, नए उद्यम व स्वरोजगार शुरू करने में तंत्र की कठिनाईयाँ, सामाजिक-पारिवारिक सोच का स्वरोजगार के अनुकूल न होना भी **पूर्ण रोजगार युक्त भारत** की यात्रा के अवरोध हैं, जिनसे मुक्ति की आवश्यकता है।

इन परिस्थितियों में हमें एक ऐसी राष्ट्रीय सोच की आवश्यकता है, जो युवाओं को स्थायी आधार पर रोजगार की सुविधा प्रदान करे, और जो उत्पादक भी हो। ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है, जो उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। हमें कृषि के प्रति उदासीनता को समाप्त करना होगा और कृषि उत्पादन और उससे होने वाली आय को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। आय का उचित वितरण भी तभी संभव है जब श्रमिक को उचित मजदूरी मिले, किसान को उसकी उपज का लाभकारी

मूल्य मिले और हर कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। इसके लिए हमें साम्यवाद या समाजवाद की आवश्यकता नहीं है, हमें एकात्म नीति की आवश्यकता है, जहां उत्पादन, रोजगार, निवेश और वितरण को अलग नहीं किया जाता है, बल्कि वे एक दूसरे के साथ एकीकृत रूप से जुड़े होते हैं। इसके लिए न केवल सरकारों व समाज को एकात्म भाव से कार्य करने की जरूरत है, बल्कि समाज को आगे बढ़कर इस रोजगार विहीनता की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।

अभियान के करणीय पक्ष :-

1. भारत की युवा जनसंख्या विशेषकर 15 से 29 वर्ष के 37 करोड़ लोगों को इस समस्या का समाधान करने वाला प्रमुख तंत्र बनाना है। युवाओं को **'जॉब सीकर' की बजाय 'जॉब प्रोवाइडर'** बनाने की एक व्यापक योजना करनी है। युवाओं में उद्यमिता, रोजगार व अर्थ सृजन को एक जन-आंदोलन बनाना है। श्रम का महत्व युवा समझें, इसकी महती आवश्यकता है।
2. यह अभियान बेरोजगार युवाओं (job seekers) व विभिन्न उद्योगों (job providers) के बीच समन्वय करने, (रोजगार मेले जैसा) सरकारी नौकरियों को सहजता से युवा प्राप्त कर सकें, इसका प्रावधान करने (उत्प्रेरक), कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन व सहकारिता जैसे प्रयोगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।
3. इसके अंतर्गत प्रत्येक **जिले में एक रोजगार सृजन केंद्र** की स्थापना होगी, जो वहां के प्रमुख विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सहयोग से होगा। यह केंद्र सब प्रकार से युवाओं को रोजगार युक्त करने की योजनाओं का केंद्र होगा। उनके आधारभूत विषय स्पष्ट करने, सरकारी योजनाओं की जानकारी, उद्यमिता प्रशिक्षण, कौशल विकास से जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ से होगी। इसके अतिरिक्त- बैंक लोन, स्वरोजगार की संभावित कठिनाईयों का समाधान, सफल स्वरोजगारियों, उद्यमियों से संवाद आदि का भी कार्य इस केंद्र से होगा।
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सरकारी योजनाओं को एक साथ युवाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी इन केंद्रों से होगी। विश्व में जहां-जहां भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर हैं, उन्हें भी इस माध्यम से चिन्हित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इस अभियान का कार्य होगा।
5. **यह अभियान स्वरोजगार, नए लघु-उद्यम, स्टार्टअप्स, सहकारिता आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन व सहयोग भी करेगा।**
6. यह अभियान प्रत्येक जिले के स्थानीय संसाधनों, युवा-शक्ति, सरकार की योजनाओं, शिक्षा- तकनीकी एवं औद्योगिक केंद्रों का आपस में समन्वय कर, रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इससे जिले में नीचे ग्राम स्तर पर ग्रामोद्योग व ग्रामशिल्प को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
7. स्थानीय व स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, उनका प्रचार करने, कुटीर उद्योगों को लोन, प्रशिक्षण व अन्य मार्गदर्शन में सहायक होगा, यह अभियान। फिर स्वरोजगार हेतु रेहड़ी, खोमचा, नाई, धोबी, ड्राइवर, टैक्सी, ऑटो जैसे सैकड़ों कामों को स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान कर रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।
8. विभिन्न राज्यों व केंद्र सरकार, नीति आयोग, राज्यों के आयोग आदि से चर्चा कर, रोजगार सृजन योजनाओं की समीक्षा व उन्हें लागू करवाने में भी यह अभियान सहायक बनेगा।
9. यह अभियान इस बात का भी ध्यान रखेगा कि **युवा केवल अपने रोजगार तक ही नहीं, बल्कि वे देश के रोजगार व आर्थिक उन्नति की सोचें।** वह सहकारिता-संस्कार का अवलम्बन करते हुए राष्ट्रोत्थान के कार्य का एक अंग बनें।

॥ भारत माता की जय ॥